यातायात पुलिस की बड़े वाहनों पर नजर, वसूला हजारों का जुर्माना

क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने कागजात कम होने पर की गई कार्रवाई

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। शहर में अब तक दुपहिया और छोटे चार पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे यातायात पुलिस अमले ने गुरुवार को भारी वाहनों पर नजरें टेढ़ी की हैं। जिन यात्री वाहनों द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां भरकर लोगों की जान खतरे में डाली जा रही थी, उन्हें रोककर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया तो इस बार जुर्माना भी बड़ा होगा और बसों को जब्त किया जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक यातायात प्रभारी सूबेदार अजीत सिंह लोधी के नेतृत्व में गुरुवार को यात्री बसों की चैकिंग की गई। आरोन रोड स्थित मगरदा चौराहे से गुजरने वाली बसों को रोककर सबसे पहले उसके अंदर बैठी सवारियों की संख्या को परखा गया। कई बसों में क्षमता से अधिक सवारियां पाई गईं तो जुर्माना लगाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक ही दिन में 24 वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर 32 हजार 700 रुपए जुर्माने के रूप में समन शुल्क वसूल किया है। वहीं बस स्टाफ को आगाह कि किया अगर अगली बार बस में सीट से ज्यादा सवारियां पाई गईं तो कड़ी कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस द्वारा बस का परमिट, चालक का लाइसेंस और बीमा सहित अन्य दस्तावेज भी चैक किए गए। कई घंटों तक चली कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन बसों को चैक किया गया। इस दौरान हमेशा की तरह कई वाहन कार्रवाई की भनक लगते ही लौट गए। सूबेदार अजीत लोधी ने बताया कि रोजाना शहर में कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्री वाहनों का दुरुस्त संचालन करने के लिए ताकीद किया जाएगा। इसके अलावा दोपहिया और छोटे चार पहिया वाहनों के दस्तावेज चैक करने का सिलसिला भी जारी रहेगा।

फिजिकल कंडीशन फिर मिली चिंताजनक:

बसों की जांच करने के दौरान देखने में आया कि सीट और अन्य उपकरण गुणवत्ता अनुरूप नहीं पाए गए। अधिकांश बसों में यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली। बसों में प्राथमिक उपचार किट भी नाम के लिए रखी गई थी। उनमें पर्याप्त दवाएं नहीं मिली। इन सभी कमियों को देखते हुए यातायात पुलिस ने बस स्टाफ को चेताया कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यातायात पुलिस ने चालक को समझाइश दी कि बस का संचालन निर्धारित और तय मापदंड के अनुसार नियंत्रित गति में ही किया जाए। अगर ओवर स्पीड करने का मामला सामने आता है तो बड़ी रकम जुर्माने के रूप में भरना होगी। साथ ही पूरी संभावना है कि बस चालक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाए।

कुछ भी हो हमें तो मुनाफे से मतलब:

बस संचालकों द्वारा मनमानी के पीछे सारा खेल मुनाफे का है। कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नियमानुसार परिवहन विभाग 150 किलोमीटर से कम दूरी के लिए 28 सीटर बसों के लिए परमिट जारी करते है। अगर इससे अधिक दूरी के लिए बसों का संचालन किया जाना है तो बसों का 35 या 52 सीटर का होना अनिवार्य है। डीजल और टैक्स की बचत के कारण बस ऑपरेटर निर्धारित दूरी पर छोटी बसों के दो परमिट बनवाते है। गुना से भोपाल और गुना से ग्वालियर के बीच अधिकांश छोटी बसें ही दौड़ रहीं है। 52 सीटर बसें तो रात में ही वीडियो कोच बनकर चलतीं हैं। बताया यह जाता है कि अब 28 सीटर बसों के लिए दो परमिट जारी नहीं होते है। किन्तु पुराने वाहन आज भी बिना रोक-टोक बिना परमिट के दौड़ रहे है।

किराया सूची नदारद

यात्रियों को बसों में सुविधाएं तो दी ही नहीं जा रहीं हैं। किराया भी मनमाना वसूला जा रहा है। सबसे अधिक खराब हालात जिला के मार्गों पर है। गुना, आरोन आदि मार्गों पर कोई किराया निश्चित नहीं है। डीजल के दाम कम बढ़ते है। उसके नाम पर किराया मनमर्जी से बढ़ा दिया जाता है। सुविधा की स्थिति यह है कि वाहनों में भेड़, बकरियों की तरह सवारियों को भरा जाता है। जितनी सवारी बस के अंदर होती है। उतनी ही बस के ऊपर लटकी रहती है। बसों की फिटनेस की स्थिति भी यह होती है कि बस में हॉर्न को छोड़कर बाकी सभी कुछ बजता है। पूरी की पूरी बस खस्ताहाली का शिकार होती है और परिवहन विभाग के कार्यालय के सामने तक से निकल जातीं हैं।

दो मकानों को निशाना बनाकर नगदी जेवरात ले गए चोर

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिले के बहादुरपुर कस्बे में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने दो मकानों को निशाना बनाकर करीब एक लाख रुपए की चोरी कर ली है। चोरी गए सामान में नगदी के अलावा सोने चांदी के जेवरात शामिल हैं। दोनों ही चोरी मंडी मोहल्ले में हुई हैं। वीरेंद्र पुत्र आलम प्रजापति ने बताया कि अज्ञात चोर रात में कमरे का ताला तोड़कर प्लास्टिक की टंकी में रखे हुए 16 हजार रुपए नगद एवं करीब 45 हजार के जेवर चोरी कर ले गए। इसी तरह तीरथराम प्रजापति के मकान से चोरों ने ताला तोड़कर एक पेटी उठा ले गए। यह पेटी मकान से करीब सौ फीट दूर ईट भट्ठे के पास मिली है। तीरथराम ने बताया कि पेटी में पंद्रह हजार नगद रखे थे और नई बहू के सोने चांदी के जेवर थे। उसने चोरी गए सामान की कीमत करीब एक लाख रूपये बताई है। बहादुरपुर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

एक नजर में

जिला स्तरीय रोजगार मेला 30 को

अशोकनगर। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन 30 अगस्तव 2024 को 11 बजे नेहरू महाविद्यालय परिसर अशोकनगर में किया गया है। जिसमें बेरोजगारों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। रोजगार मेला में निजी क्षेत्र की कंपनियां एलएनटी गुना एवं आई ईई एसए गुना एवं चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड गुजरात एवं नौकरीफाये. कॉम एवं एम. आर. एफ टायर चैन्नई सहित अन्य कंपनियों द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा।

आरटीआई की राशि को लेकर सौंपा ज्ञापन

कहा दो साल होने के बाद मिलती है राशि, होते हैं परेशान

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों का बच्चों की फीस का भुगतान दो साल बाद किया जा रहा है। इस तरह की स्थिति केवल अशोकनगर जिले में सामने आई है। इस व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा और समय पर फीस भुगतान कराने की गुहार लगाई।

निजी स्कूलों के संगठन अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के मुताबिक जिले के सभी स्कूलों द्वारा शासन के निर्देश अनुसार 2022-23 के फीस फीस प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा में जिला परियोजना समन्वयक अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत किए थे। लेकिन राज्य शिक्षण केंद्र द्वारा जिला परियोजना समन्वयक अशोकनगर के खाते में राशि जमा करने के बाद भी जिले के सभी निजी विद्यालयों की फीस प्रतिपूर्ति अब तक नहीं हुई है। संघ ने बताया कि इस प्रकार की उदासीनता प्रतिवर्ष केवल अशोकनगर जिले में है, बांकी अन्य जिलों में फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है तथा राशि का अंतरण निजी विद्यालयों के खाते में कर दिया गया है। अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने बताया कि निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राशि सत्र समाप्ति के होते ही होना चाहिए, लेकिन प्रशासन द्वारा राशि हमेशा 2 साल बाद दी जाती है। जबकि उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में लगभग 6 बार जांच एवं शपथ पत्र के प्रपोजल जमा किया जाता है। उसके बाद भी भुगतान के समय दोबारा जांच के आदेश निजी विद्यालयों के साथ भेदभाव को दर्शाता है। संघ ने मांग की है कि फीस का भुगतान अविलंब स्कूलों के खातों में करवाया जाए।

नपाध्यक्ष ने किया सब्जी मंडी का मुआयना, कीचड़ मुक्त बनाने के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मानोरिया पार्षद राशिद खान चिन्ना तथा पार्षद प्रतिनिधि गोपाल ओझा के साथ शहर के पुराना बस स्टैंड संजय स्टेडियम के पास स्थित सब्जी मार्केट का निरिक्षण किया। जिसमें बरसात के समय वारिश का पानी एकत्रित न हो तथा सब्जी मार्केट में आने वाले लोगों को साफ और स्वच्छ व्यवस्था मिले इसके लिए मौके पर उपस्थित नपा इंजीनियर राकेश धाकड़ को निर्देश दिए। नपाध्यक्ष श्री मनोरिया ने बताया की उक्त स्थल के जमीनी भाग को तकनीकी तौर पर उन्नत किया जाएगा एवं सब्जी मार्केट को साफ और स्वच्छ बनाने का हर संभव

प्रयास किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष अध्यक्ष ने दुकानदारों से भी निवेदन किया कि वह अपनी दुकान रोड पर न लगाएं जो टीन शेड निकाय द्वारा बनाए गए हैं, उन दुकानों में बैठ कर सब्जी बेचें, जिससे आवागमन में समस्या न हो। इस मौके पर पार्षद राशिद खान चिन्ना, पार्षद प्रतिनिधि गोपाल ओझा, नपा से इंजीनियर राकेश धाकड़, गोपाल कोरी, शिव शर्मा, रवि सेन, ण्पस्थित रहे।

जिला न्यायालय अशोकनगर में सार्वजनिक प्रसाधन का लोकार्पण

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। न्यायालय परिसर अशोकनगर में सार्वजनिक शौचालय न होने से कलेक्टर सुभाष द्विवेदी द्वारा जनपद पंचायत अशोकनगर की ग्राम पंचायत बरखेड़ी को आदेशित कर ग्राम पंचायत बरखेड़ी द्वारा न्यायालय प्रांगण में सार्वजनिक प्रसाधन का निर्माण किया गया। जिसका उद्घाटन गुरूवार को न्यायालय के प्रथम जिला न्यायाधीश प्रवेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार पाटीदार, जिला न्यायाधीश, सचिव रश्मि मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण तूमराची धुर्वे, जिला रजिस्ट्रार ध्रुव अग्रवाल, जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटेल, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ महेन्द्र सिंह यादव सहित सभी न्यायाधीश एवं अधिवक्ता

उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित कलेक्टर, प्रधान जिला न्यायाधीश, प्रथम जिला न्यायाधीश द्वारा सुलभ शौचालय के कॉन्ट्रेक्टर अजय पटेल, ग्राम पंचायत बरखेड़ी के सरपंच मेहरबान सिंह पटेल का पुष्पमाला से स्वागत भी किया गया।

खंड स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी का हुआ आयोजन

अशोकनगर। विकासखंड स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नवीन भवन पथरिया में किया गया। संगोष्ठी में 13 शिक्षकों ने भाग लिया। जिसमें शिक्षक विनोद शर्मा एवं शिक्षिका शिवानी साहू प्रथम रही। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष में विभिन्न स्तर पर शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जिसके प्रथम चरण में विकासखंड स्तर पर शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को कलेक्टर ने किया सम्मानित

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। स्वास्थ्य विभाग एवं आईपीएएस डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्यग में परिवार नियोजन के विकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत अस्थाई साधनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा गुरूवार को कलेक्ट्रे ट सभाकक्ष में प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मावनित किया गया। उल्लेखनीय है कि ईएसबी स्कीम में तीन आशा कार्यकर्ता रामा रघुवंशी, मीना जाटव एवं अफसाना बानो, अंतरा इंजेक्शन के लिए मोटिवेट करने वाली आशा हरको बाई, विजय कुमारी शर्मा एवं प्रीति रजक को सम्मानित किया गया। साथ ही तीन उप स्वास्थ्य केंद्रों अमोद न्यू,

कदवाया एवं भादोन एवं तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों नईसराय, पिपरई एवं राजपुर को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान की गई। इस दौरान कलेक्टर श्री द्विवेदी ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रति महीने चैंपियन ऑफ मंथ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर इस अवसर पर मुख्यर कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ नेहा जैन, सीएमएचओ डॉ नीरज कुमार छारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रजनी छारी, संभागीय समन्वयक आईपीएएस ज्ञानेंद्र दुबे, डीपीएम कपिल पाराशर, नरेश रघुवंशी, हरि नारायण, जुगल व्यास, बीसीएम एवं बीईई उपस्थित थे।

ट्रांसफॉर्मर के पास फैला करंट, चपेट में आने से गर्भवती भैंस की मौत

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोला डैम गांव में गुरुवार सुबह करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि जल संसाधन विभाग के विश्राम गृह के नजदीक रखे एक ट्रांसफार्मर में सुबह करंट फैलने लगा था, चूंकि यह इसी जगह से दमदमा गांव का रास्ता जाता है। जिस रास्ते से सौ से अधिक भैंसें गुजर रही थीं, एक भैंस जैसे ही ट्रांसफार्मर के नजदीक पहुंची तो तड़पने लगी। ग्रामीणों ने सभी भैंसों को वहां से दूर किया। मृत भैंस साहब सिंह यादव की है। जिसकी कीमत उन्होंने 75 हजार रुपए बताई है। साहब सिंह के अनुसार भैंस गर्भवती थी। मौके पर पहुंचे लाइनमैन गोलू यादव ने बताया कि ट्रांसफार्मर के आसपास तारों का जाल फैला है, संभवत किसी तार में कट लगने से करंट फैला होगा।

आयोजन | माता बहनें अपने सिर पर मंगल कलश लेकर जल लेने निकलीं

घटयात्रा जुलूस के साथ हुआ सिद्धचक्र महामंडल विधान का आगाज

नवभारत न्यूज़

अशोकनगर। पछाड़ी खेड़ा स्थित श्री पाश्र्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्वशांतिमहायज्ञ का भव्य घटयात्रा जूलूस का आयोजन श्री दिगम्बर जैन पंचायत कमेटी के तत्वावधान पाश्र्वनाथ ट्रस्ट कमेटी द्वारा किया गया। जिसमें माता बहनें अपने सिर पर मंगल कलश लेकर जल लेने निकलीं। घटयात्रा जूलूस पाश्र्वनाथ मंदिर से रवाना होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए पुन- पाश्र्वनाथ मंदिर प्रांगण में आकर ध्वजारोहण

समारोह में बदल गया। जानकारी देते हुए जैन समाज के मंत्री विजय धुर्रा ने बताया कि 29 तारीख तक चलने वाली महा आराधना में ध्वजारोहण करने का सौभाग्य सुरेश चंद्र राजीव कुमार चन्देरी परिवार को मिला जहां ब्र प्रदीप भैया नरेश भ इया के मंत्रोच्चार के वीच राजीव कुमार मौसम कुमार संस्कार टेंडर्स द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद मंडल शुद्धि पडंप शुद्धि के साथ ही पात्रों का चयन किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठा चार्य प्रदीप भैया ने कहा कि आज आपको सिद्धों की महा आराधना करने का स्वर्णिम अवसर मिला रहा है। कल से यहां बैठने को स्थान नहीं मिलेगा सिद्धो की ऐसी महिमा है कि इनकी आराधना सच्चे मन से करने वालो के रोग शोकं दुःख दारुण सब दुर हो जाते हैं। सिद्धचक्र महा मंडल विधान में मैन सुन्दरी श्री पाल राजा वनने का सौभाग्य सुरेश चंद्र सुनील कुमार संजीव कुमार रिक्कू ओडेर परिवार को मिला। इसके साथ ही सौ धर्म इन्द्र सुभाष कुमार राहुल कुमार पिपरई धनकुबेर संजीव कुमार मनीष कुमार महावीर टी महा यज्ञ नायक इंजिनियर अनिल कुमार जैन इंसान इन्द्र विनोद कुमार लोकेश कुमार अंकित सन्तूरा सनत इन्द्र कमलेश कुमार सचिन कुमार एन एस महेंद्र इन्द्र प्रमोद कुमार प्रसुन कुमार मंगलदीप ब्रह्म इन्द्र एस के जैन को वनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान जैन समाज मंत्री शैलेन्द्र श्रागर ने कहा कि आज से ही सभी भक्तों को अपना मन बनाकर रखना है।

फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग ने इस वर्ष की अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूकबर को सम्मिलित करते हुए दिनांक 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के अनुसार पुनरीक्षण संबंधी निर्देश दिये है। आयोग द्वारा अवगत कराया है कि पुनरीक्षण गतिविधियां दो भागों में पूर्ण की जायेगी, जिससे निर्वाचक नामावली बन सके। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के मान से निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु जारी कार्यक्रम के तहत 20 अगस्त से 18 अक्टूहबर 2024 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण/ पुनर्व्यवस्था, नामावली, ईपिक में विसंगतियों को दूर करना, यहां कही आवश्यक हो, निर्वाचक नामावली में धुंधली, रणनीति को अंतिम रूप देना एवं ऐसे अंतरालों को पाटने की समय-सीमा और कन्ट्रोल टेबल को अद्यतन करना।

// प्रेस विज्ञप्ति //

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त -03 थूवोन तहसील चन्देरी में प्रकरण क्रमांक में आवेदक धर्मेन्द्र सिंह यादव पुत्र जसराज सिंह यादव निवासी ग्राम चक्क छपरा द्वारा अपनी पिता जसराज सिंह यादव की मृत्यु दिनांक 22.08.2008 को ग्राम चक्क छपरा में मृत्यु हो गई थी। जिसमें आवेदक द्वारा उनका मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने हेतु लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया है।

अत :प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27.08 2024 को इस न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजर जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 22/08/24

(अशोक सिंह तोमर)
नायब तहसीलदार
तहसील चन्देरी

// प्रेस विज्ञप्ति //

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त -03 थूवोन तहसील चन्देरी में प्रकरण क्र मांक में आवेदक तुलसीराम पुत्र रमचे कुशवाह निवासी ग्राम चक्क छपरा द्वारा अपने पिता रामचंद्र (रमचे) की मृत्यु दिनांक 01.01.2001 को ग्राम चक्क छपरा में मृत्यु हो गई थी। जिसमें आवेदक द्वारा उनका मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने हेतु लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया है। अत :प्रकरण में किसी भी . व्यक्ति को अगर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27.08. 2024 को इस न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजर जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 22/08/24

(अशोक सिंह तोमर)
नायब तहसीलदार
तहसील चन्देरी